न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 87 / 2022 / अपील / एलआरएक्ट / बारां
दायरा दिनांक: 30.05.2022
अन्तर्गत धारा: 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामकल्याण पुत्र श्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बमौरी तहसील अटरू, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

1. मेघराज पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम बमोरी, तहसील अटरू, जिला बारां
2. तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री एम. एम. केसरी अभिभाषक –अपीलार्थीगण
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 23.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 01 / 2020 बउनवान रामकल्याण बनाम मेघराज वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी रामकल्याण के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 अप्रार्थी (मेघराज) के पिता स्व0 प्रभूलाल बैरवा के नाम ग्राम बमोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा सं0 81 रकबा 0.54 है0 का आवंटन दिनांक 12.10.1995 को किया गया आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वर्णित किया गया कि प्रार्थी के द्वारा न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना–पत्र आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1995 को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया है, जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण में विवादित भूमि आवंटन के समय सीलिंग अधिग्रहित भूमि सिवायचक दर्ज थी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाने का निर्णय दिनांक 22.03.2021 पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22.03.2021 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश की जाकर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया था कि भू–आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बमौरी ने वाके ग्राम बमौरी तहसील अटरू जिला बांरा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 81 की जो कि पूर्व में प्रार्थी के पिता व दादा के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, को अकृषक प्रभूलाल पुत्र अमरलाल अर्थात् अप्रार्थी/रेस्पोन्डेंट के पिता के पक्ष में दिनांक 12.10.1995 को आवंटन किया गया तथा पिता प्रभू लाल को खसरा नम्बर 81 की आवंटन की गई आराजी के आवंटन पश्चात नये खसरा नम्बर 992/81 कायम किए तथा उक्त कृषि आराजी पर आज भी प्रार्थी काबिज काश्त है। अप्रार्थी एवं उसके पिता मृतक प्रभूलाल ने आवंटन के उपरांत ना तो भूमि पर कब्जा लिया और ना ही भूमि को काश्त किया क्योंकि अप्रार्थी के पिता मृतक प्रभूलाल ना तो कृषक थे और ना ही कृषक मजदूर तथा यह आवंटन नियमों प्रावधानों के विपरित होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद तामील होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कभी भी उपस्थित नहीं हुआ तथा उपरोक्त प्रकरण में बहस एकतरफा सुनी जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निर्णय दिनांक 22.03.2021 के तहत खारिज कर दिया। इस प्रकार का निर्णय दिनांक 22.03.2021 कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य बता दिये गये थे कि भू–आवंटन सलाहकार समिति ने अपीलार्थी के कब्जे व काश्त की भूमि का रेस्पो. के पिता मृतक प्रभूलाल को आवंटन करते समय भू–आवंटन नियम 20(1) के प्रावधानों की पालना नहीं की है तथा 20(1) के प्रावधानों के विपरीत जाकर भू–आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1995 किसी भी सूरत में यथावत रखने योग्य नहीं है तथा भू–आवंटन आदेश जो भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.10.1995 को पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है, लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी स्पष्ट तौर से बता दिया गया था कि भू–आवंटन के समय भू–आवंटन सलाहकार समिति ने भू–आवंटन के सम्बंध में ऐसी कोई उदघोषणा नहीं की तथा अपीलार्थी के पिता रामकरण व दादी गंगा बाई को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा जो भूमि आवंटित की गई वह प्रार्थी/अपीलार्थी के पूर्वजों के कब्जे काश्त की भूमि थी जो आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी उसके उपरांत भी अप्रार्थी/रेस्पो. के पिता मृतक प्रभूलाल को आवंटित कर दिया गया, इसलिए निर्णय दिनांक 22.03.2021 निरस्तनीय है। आवंटन के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पश्चात् आवंटी अप्रार्थी/रेस्पो. के पिता प्रभूलाल ने भूमि पर ना तो कब्जा लिया और ना ही किसी प्रकार की कोई काश्त की तथा प्रार्थी/अपीलार्थी सन् 1990 से लेकर आज तक आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है। जिस भूमि को अप्रार्थी/रेस्पो० के पिता मृतक प्रभूलाल के नाम भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित किया गया है, वह भूमि पूर्व में अपीलार्थी की दादी श्रीमती गंगा बाई के द्वारा दिनांक 03.12.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र खरीद की गई थी तथा गंगा बाई के बाद अपीलार्थी के पिता रामकरण पुत्र धन्ना लाल इस आराजी पर काबिज काश्त रहे तथा राजस्थान सीलिंग एक्ट 1955 के प्रावधान दिनांक 01.04.1966 से लागू हुए तथा उसी भूमि का आवंटन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है, जो सरप्लस भूमि 01.4.1966 से पूर्व भूमिधारी के पास रही हो तथा उक्त भूमि चूंकि अपीलार्थी की दादी द्वारा दिनांक 03.12.1973 को 26 बीघा भूमि क्रय की थी तथा इस भूमि पर सीलिंग एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते तथा इस भूमि को सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से शुरू से बाहर रखा गया तथा इस सम्बंध में प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता रामकरण एवं दादी गंगा बाई द्वारा की गई कार्यवाही में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या 70/88 सीलिंग कोटा बउनवान सरकार बनाम गंगा बाई, रामकरण में पारित अपने निर्णय दिनांक 31.08.1990 एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत नजरसानी संख्या/43/90/सीलिंग/कोटा बउनवान रामकरण बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.06.1992 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि श्रीमती गंगा बाई बेवा धन्ना लाल ने उक्त 26 बीघा भूमि सीलिंग अधिनियम 1955 के प्रभावशील दिनांक 01.04.66 के बाद दिनांक 03.12.1973 को क्रय की थी इसलिए यह भूमि सीलिंग में नहीं जोड़ी जानी चाहिए तथा उसे गणना से बाहर रखे जाने का निर्णय पारित किया गया है। जिसके फलस्वरूप उक्त 26 बीघा भूमि को सीलिंग से बाहर रखा गया था, लेकिन इसके उपरांत भी भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा इन तथ्यों की जांच किए बिना अप्रार्थी/रेस्पो के पिता मृतक प्रभूलाल के नाम उक्त भूमि में से 0.54 हैक्टेयर भूमि नया खसरा संख्या 932/81 कायम कर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटित की जो किसी भी सूरत में विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार किया गया आवंटन दिनांक 12.10.1995 गलत रूप से पारित किया गया है, जो निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.03.2021 निरस्त कर भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1995 निरस्त किया जावे।

सत्यापित अनुकूल
राजस्व संभाग, कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे रेस्पो0 अभिभाषक के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एकपक्षीय सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी के पिता व दादा के कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नं0 81 वाके ग्राम बम्बोरी तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित रही है। इस भूमि को 0.54 हेक्टर भाग का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति बम्बोरी ने दिनांक 12.10.1995 को किया था तथा आवंटन के पश्चात इस भूमि के नये खसरा नं० 992/81 कायम किये गये तथा उक्त कृषि आराजी पर आज भी अपीलार्थी काबिज है तथा आवंटन के पश्चात रेस्पोडेन्ट के पिता प्रभूलाल द्वारा उक्त भूमि पर न तो कब्जा लिया और ना ही भूमि को काश्त किया। उक्त आवंटन को निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहां पर रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे किसी प्रकार का साक्ष्य व अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भूराजस्व अधिनियम एकतरफा सुनवाई कर खारिज कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा संपूर्ण तथ्य से अवगत करा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलार्थी की भूमि को रेस्पोडेन्ट के पिता प्रभूलाल के आवंटन करते समय भू आवंटन नियम 20 (ए) के प्रावधानो की पालना नही की। जिस भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट के पिता प्रभूलाल को किया गया वह भूमि अपीलार्थी की दादी गंगा बाई के द्वारा 03.12.1973 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई थी तथा गंगा बाई के बाद अपीलार्थी के पिता रामचरण पुत्र धन्नालाल इस आराजी पर काबिज काश्त रहे तथा राजस्थान सीलिंग एक्ट 1955 के प्रावधान दिनांक 01.04.1966 से लागू हुये जिसके अनुसार उसी भूमि का आवंटन सीलिंग एक्ट के अनुसार किया जा सकता है जो सरप्लस भूमि 01.04.1966 से पूर्व भूमिधारी के पास रही हो। चूंकि उक्त भूमि अपीलार्थी की दादी द्वारा 03.12.1973 को 26 बीघा भूमि क्रय की थी जिसके खसरा नं0 81 थे जिसका पूर्व खसरा नं0 179 रकबा 26 बीघा रहा है तथा इस भूमि पर सीलिंग एक्ट के प्रावधान लागू नही होते। अपीलार्थी के पिता रामकरण व दादी गंगा बाई द्वारा इस संबंध मे राजस्व मण्डल अजमेर मे की गई कार्यवाही की अपील संख्या 70/88 (सीलिंग कोटा) बउनवान सरकार बनाम गंगा बाई, रामकरण मे

राजस्व अपील अधिकारी
कैम्प, कोटा

पारित निर्णय दिनांक 31.08.1990 एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अन्य नजरसानी/निगरानी संख्या 43/1990/ सीलिंग/कोटा बउनवान रामकरण बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 17.06.1992 मे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि श्रीमती गंगा बाई बेवा धन्ना लाल ने उक्त 26 बीघा भूमि सीलिग अधिनियम 1955 के प्रभावशील दिनांक 01.04.1966 के बाद 03.12. 1973 को क्रय की थी। इसलिये यह भूमि सीलिंग मे नही जोडी जानी चाहिये तथा उसे गणना से बाहर रखे जाने का निर्णय पारित किया गया है। लेकिन उसके उपरान्त भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा इन तथ्यो की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट के पिता मृतक प्रभूलाल के नाम उक्त भूमि में से 0.54 हेक्टर भूमि जिसका नया खसरा नं0 932/81 कायम कर कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर आवंटित की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया और ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.03.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.03.2021 निरस्त किये जावे तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन दिनांक 12.10.1995 निरस्त किया जावे तथा उक्त कृषि आराजी को अपीलार्थी के खाते दर्ज करने के निर्देश रेस्पोडेन्ट क्रम 2 प्रदान किये जावे।

5. रेस्पो0 क्र. 1 अभिभाषक बावजूद सूचना के नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने से प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलार्थी एकपक्षीय सुनी गई।

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुने जाने का अनुरोध किया गया। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षम्य करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एकपक्षीय सुनी जाकर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी रामकल्याण के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 अप्रार्थी (मेघराज) के पिता स्व0 प्रभूलाल बैरवा के नाम

ग्राम बमोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा सं0 81 रकबा 0.54 है0 का आवंटन दिनांक 12.10.1995 को किया गया आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वर्णित किया गया कि प्रार्थी के द्वारा न्यायालय में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना–पत्र आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1995 को निरस्त किये जाने हेतु पेश किया गया है, जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकरण में विवादित भूमि आवंटन के समय सीलिंग अधिग्रहित भूमि सिवायचक दर्ज थी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाने का निर्णय दिनांक 22.03.2021 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलार्थी का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की दादी द्वारा 03.12.1973 को 26 बीघा भूमि क्रय की थी जिसके खसरा नं0 81 है, जिसका पूर्व खसरा नं0 179 रकबा 26 बीघा रहा है तथा इस भूमि पर सीलिंग एक्ट के प्रावधान लागू नही होते। अपीलार्थी के पिता रामकरण व दादी गंगा बाई द्वारा इस संबंध मे राजस्व मण्डल अजमेर में की गई कार्यवाही की अपील संख्या 70/88 (सीलिंग कोटा) बउनवान सरकार बनाम गंगा बाई, रामकरण मे पारित निर्णय दिनांक 31.08.1990 एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अन्य नजरसानी/निगरानी संख्या 43/1990/सीलिंग/कोटा बउनवान रामकरण बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.06.1992 मे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि श्रीमती गंगा बाई बेवा धन्ना लाल ने उक्त 26 बीघा भूमि सीलिग अधिनियम 1955 के प्रभावशील दिनांक 01.04.1966 के बाद 03.12.1973 को क्रय की थी। इसलिये यह भूमि सीलिंग मे नही जोडी जानी चाहिये तथा उसे गणना से बाहर रखे जाने का निर्णय पारित किया गया है। लेकिन इसके उपरान्त भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा इन तथ्यो की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट के पिता मृतक प्रभूलाल के नाम उक्त भूमि में से 0.54 हेक्टर भूमि जिसका नया खसरा नं0 932/81 कायम कर कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर रेस्पो0 क्र.1 को आवंटित किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार रेस्पो0 क्र. 1 को ग्राम बमोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा सं0 81 रकबा 0.54 है0 का आवंटन दिनांक 12.10.1995 को होना प्रकट होता है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आवंटन दिनांक 12.10.1995 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा रेस्पो0 क्र.1 को दिनांक 12.10.1995 को प्रश्नगत आराजी का आवंटन किये जाने के पश्चात् 25 वर्ष तक अपीलार्थी के द्वारा चाराजोही नहीं किया जाना प्रकट होता है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय हाजा में गंगा बाई बेवा धन्नालाल एवं

सम्भागीय आयुक्त
संभाग, कोटा

अपीलार्थी के पिता रामरकरण की मृत्यु कब हुई है, कि स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और न हीं साक्ष्य में मृत्यु प्रमाण–पत्र अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज पेश किये गये है। अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपाया जाकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है तथा न्यायालय हाजा में भी उक्त के संबंध में साक्ष्य/दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा पेश नहीं किये गयें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1995 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार रेस्पो0 को विधिवत आवंटन किया जाना प्रकट होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.03.2021 में विवेचन किया गया है कि आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र विधितः संधारणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा